सार्वजनिक सूचना

नगर पालिका परिषद् चमोली –गोपेश्वर के अधीन निम्न शुल्कों की वसूली हेतु दो लिफाफा प्रणाली (प्रथम तकनीकी एवं द्वितीय लिफाफा वित्तीय) के तहत शीलबन्द निविदायें उल्लिखित शर्तों के अधीन दिनांक 18.3.21 को समय पंजीकृत डाक से आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 19.3.21 को पूर्वान्ह 11.00 बजे के बाद कार्यालय समय तक खोली जायेगी । निविदा खोलते समय निविदादाता सोसियल डिस्टेंसिग मानक का अनुपालन करते हुए उपस्थित रह सकता है। निविदा प्रपत्र जनपद की बेवसाइड htt;//chamoli.nic.inमें नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत डाउनलोड कर निर्धारित पारूप पर ही सार्वजनिक सूचना में निर्धारित शर्तो की आर्हता रखने वाला निविदादाता ही आवेदन कर सकता है।–

क्र0 सं0	शुल्क का विवरण	न्यूनतम धनराशि	अवधि	टेण्डर फार्म शुल्क	जमानत राशि
1	पार्किंग शुल्क 1–गोपेश्वर क्षेत्र (नया बस अड्डा /मुख्य बस अड्डा) हल्दापानी	7.00 लाख	01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022	1000.00	30000.0
	2–नैग्वाड़ क्षेत्र	0.50 लाख	–"–	500.00	5000.00
	3–चमोली क्षेत्र (रैन बसेरा भवन एवं अलकनन्दा घाट पार्किंग)	3.50 लाख	–"–	500.00	20000.0
2	तहबजारी	3.00 लाख	–"–	500.00	20000.0
3	पी0 जी0 कालेज समीप निर्मित पार्किंग द्वितीय एवं तृतीय तल	3.00 लाख	–"–	500.00	20000.0

शर्ते–तकनीकी लिफाफा –01

1–टेण्डर फार्म का मूल्य बैंक डाफट के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् चमोली –गोपेश्वर के नाम से मान्य होगा।

2–जमानत की धनराशि एफ0 डी0 आर0 / एन0 एस0 सी0 के रूप में जो अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक हो मान्य होगी

3–निविदादाता निविदा तिथि को पालिका का बकायादार नही होना चाहिए।

4–हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र जो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निविदा तिथि के छःमाह की अवधि के अन्दर बना हो ही मान्य होगा।

ब –वित्तीय लिफाफा–02–टेण्डर फार्म

उपरोक्त दोनो लिफाफे तैयार कर एक लिफाफे में पंजीकृत डाक से भेजना होगा, की निविदा ही मान्य होगी। शेष नियम व शर्ते निम्न प्रकार से प्रभावी रहेगी:–

1. निविदा की न्यूनतम धनराशि से प्राप्त अधिक निविदा धनराशि जो सर्वोच्च प्राप्त होगी को स्वीकार कर ली जायेगी।
2. निविदा फार्म पर निविदादाता का नवीनतम फाटोग्राफ होना आवश्यक है।
3. जिस निविदादाता के नाम निविदा स्वीकृत होगी को पालिका की मांग के अनुसार अनुबन्ध करने के पश्चात निविदा धनराशि का 1/4धनराशि करना होगा। उसके पश्चात ही वसूली आदेश निर्गत किया जायेगा।
4. यदि सर्वोच्च निविदादाता द्वारा पालिका मांग अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा नही की जाती है तो जमानत जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय निविदादाता को अवसर प्रदान किया जायेगा तब द्वितीय निविदादाता की जमानत आरक्षित रखी जायेगी।
5. सर्शत निविदा मान्य न होगा।
6. निविदादाता को पार्किंग शुल्क /तहबजारी शुल्क उपविधि एवं शासन द्वारा समय –समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
7. पार्किंग स्थलों एवं अन्य शुल्को पर बिना आदेश के किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नही की जायेगी।
8. अनुबन्ध करते समय तीन रिक्त चैक (ब्लैक चैक) देने आवश्यक है।
9. जिसके नाम निविदा स्वीकृत होगी को निविदा की धनराशि का 4 प्रतिशत के स्टाम्प प्रस्तुत करना होगा।
10. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
11. जिस निविदादाता के नाम निविदा स्वीकृत होगी के साथ किसी अन्य व्यक्ति की पाटनरसिप मान्य नही होगी।
12. प्रत्येक पार्किंग स्थल /तहबजारी के लिए अलग–अलग निविदा ही मान्य होगी।
13. निविदा खुलते समय निविदादाता ही उपस्थित रह सकता है।

अधिशासी अधिकारी — अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद् चमोली –गोपेश्वर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् चमोली –गोपेश्वर।
संख्या– 665 /5– उपनियम /2020–2021/दिनांक–3 मार्च 2021

प्रतिलिपि:–संवाददाता........................दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त सूचना को न्यूनतम दर पर प्रकाशित करवाकर प्रकाशित सूचनामय बिल सहित प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

1–पालिका सूचना पट्ट।
2–जिलाधिकारी चमोली।
3–एन0 आई0 सी0 जनपद चमोली को इस निवेदन के साथ उपरोक्त सूचना के साथ संलग्न निविदा प्रपत्र नगर पालिका परिषद् चमोली –गोपेश्वर के अन्तर्गत प्रकाशित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
चमोली–गोपेश्वर